झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

[प्रथम-सत्र]

बुधवार, तिथि- 08 जनवरी, 2020 (ई०) / 18 पौष, 1941 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-: प्रारम्भिक-कार्य :-

(01)- सदस्यों का शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान।

(02)- माननीया राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उपस्थापन, वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।

-: वित्तीय-कार्य :-

(03)-वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
{कटौती प्रस्ताव की सूची अलग से वितरित की जा रही है}

-: विधायी-कार्य :-

राजकीय (वित्त) विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2020

(04)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह वित्त) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2020" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(05)-मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह वित्त) श्री हेमन्त सोरेन,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(06)-मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह वित्त) श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक,2020" पर विचार हो।

(07)-मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह वित्त) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक,2020" स्वीकृत हो।

कृ०पृ०उ०......./-

-: <u>सरकारी-संकल्प</u> :-

(08)–श्री आलमगीर आलम, प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य, प्रस्ताव करेंगे कि यह सभा लोक सभा एवं राज्य सभा द्वारा पारित संविधान (एक सौ छब्बीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2019 पर निम्न रूप में अपना अनुसमर्थन देती है :–

(क)–अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा एवं राज्य के विधान सभाओं में स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान में प्रस्तावित संशोधन पर झारखण्ड विधान सभा के अनुसमर्थन का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाय।

(ख)–लोक सभा एवं राज्य के विधान सभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान में प्रस्तावित संशोधन पर झारखण्ड विधान सभा के अनुसमर्थन का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाय।

(09)– श्री आलमगीर आलम, प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य, प्रस्ताव करेंगे कि "जामिया से लेकर जे0एन0यू0 जैसे देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में छात्रों पर हो रहे बर्बर हमले एवं आक्रमणों पर यह सदन अपनी चिंता व्यक्त करता है। यह सदन अपनी इस चिन्ता से भारत सरकार को अवगत कराने का प्रस्ताव पारित करे।"

(10)– सभा समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

(11)– अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य0का0सू0-12/2019-...08.../वि0स0,राँची,दिनांक-...07/01/2020..

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/राज्य सभा,नई दिल्ली/लोकसभा,नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/01/2020
(गुरुचरण सिंह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0-------/-

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–12/2019–....08..../वि0स0,राँची,दिनांक–...07/01/2020

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

07/01/2020

(गुरुचरण सिंकू)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–12/2019–....08..../वि0स0,राँची,दिनांक–...07/01/2020

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान–सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/01/2020

(गुरुचरण सिंकू)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

07/01/20

गोपी/